रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/ कार्तिक 24, 1940
No. 363] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

okf.kT; ,o m|kx e=ky;

¼okf.kT; foHkkx½

¼fon'k 0;kikj egkfun'kky;½

lkotfud lpuk

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

l[;k 46@2015&2020

fo"k; %&LdkeV enk d ^HkMkj.k ,o fcØh* d fy, fu;kr ikf/kdkj i= tkjh dju d fy, ifØ;k iLrd d ijk 2-79d vkj 2-79[k e l'kk/kuA

Qk-l- 01@91@171@37@,,e10@blh¼,l½-&&विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैराग्राफ 2.79क और 2.79ख (भंडारण एवं बिक्री) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैराग्राफ 2.79क और 2.79ख को प्रतिस्थापित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

^^2-79d LdkeV enk d ^^Hk.Mkj.k ,o fcØh** d fy, fu;kr ikf/kdkj i= tkjh djuk

स्कोमेट मदों (श्रेणी 0, श्रेणी 3क4001, श्रेणी 6 और किसी श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी के अंतरण को छोड़कर) को भारतीय निर्यातक से विदेश स्थित किसी इकाई (जिसे इसके पश्चात् 'स्टॉकिस्ट' कहा जाएगा) को बल्क निर्यात करने और तत्पश्चात् अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को इसे हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकार पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन पर निम्नलिखित शर्तों के तहत आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जाएगाः

uhfr dh i;kT;rk ,o foLrkj {k=

क. ‘स्टॉकिस्ट’ विदेश में ऐसी इकाई को संदर्भित करता है जिसे लिए स्कोमेट मद मूल रूप से भारत की प्रधान/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी द्वारा निर्यात किए जाते हैं। स्टॉकिस्ट इकाई को भारतीय निर्यातक की विदेश में स्थित एक सहायक/प्रधान कम्पनी होना चाहिए;

ख. निर्यात केवल भारत में प्रधान कम्पनी/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी (निर्यातक) से विदेश स्थित उनकी सहायक कम्पनियों/प्रधान कम्पनी को स्टॉकिस्ट से विनिर्दिष्ट अंतिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) के माध्यम से अंतिम उपयोग घोषणा के आधार पर ‘भंडारण एवं बिक्री’ प्रयोजन के लिए अनुमत होगा;

fon'k fLFkr LVkfdLV dk fu;kr gr vkj विशिष्ट देशों e okLrfod i;kDrkvk dk LFkkukrfjr dju gr vkonu

ग. निर्यातक स्टॉकिस्ट से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र (एएनएफ 2ण) में आवेदन प्रस्तुत करेगा;

i. भारतीय निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच कॉरपोरेट संबंध के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण;

ii. परिशिष्ट 2ध (iii) में विदेश स्थित स्टॉकिस्ट इकाई से वास्तविक प्रयोग/वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र;

iii. देशों (ईयूसी में) की सूची जिसके लिए भारत से आयातित मदों को स्टॉकिस्ट द्वारा निर्यात किया जाएगा;

iv. खरीद आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों) अथवा इसके एवज में दस्तावेज;

v. उत्पाद (उत्पादों) का तकनीकी विनिर्देशन;

vi. आन्तरिक अनुपालन कार्यक्रम की प्रतिलिपि (यदि आवेदक निर्यातक/स्टॉकिस्ट इकाई के पास हो)

LVkfdLV dk fu;kr dju gr rFkk LVkfdLV d n'k d Hkhrj LVkfdLV }kjk fcØh gr rFkk vU; n'kk e okLrfod i;kDrkvk dk LVkfdLV }kjk iqu% fu;kr dju gr l)kfrd vuqeknu

घ. स्टॉकिस्ट को निर्यात करने हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने तथा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित अंतिम वास्तविक उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट देशों को पुनः निर्यात हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन का आंकलन किया जाएगा;

ड. स्टॉकिस्ट के देश के अंदर स्टॉकिस्ट से अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को हस्तांतरण करने तथा ऐसे अनुमोदित देशों वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात करने के लिए कोई प्राधिकार–पत्र अपेक्षित नहीं होगा;

च. ऐसे अनुमोदित देशों को किया जाने वाला पुनः निर्यात स्टॉकिस्ट के देश के निर्यात नियंत्रण विनियमों के अधीन होगा;

छ. देश एक स्वतंत्र सार्वभौम इकाई को निरूपित करेगा जो राजनीतिक भूगोल में एक विशिष्ट राष्ट्रीय इकाई है। अतः आर्थिक संघ या सीमा शुल्क संघ के भीतर हस्तांतरण ’उसी देश को हस्तांतरण’ के रूप में पात्र नहीं होगा;

LVkfdLV }kjk ,d gh n’k e gLrkrj.k vkj io vuqekfnr n'kk dk iqu% fu;kr dju d fy, ikLV&fjikfVx

ज. एक ही देश के भीतर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाने वाली बिक्री/हस्तांतरण तथा उन देशों जहां सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है, में वास्तविक प्रयोक्ताओं को पुनः निर्यात/पुनः स्थानान्तरण के मामले में भारतीय निर्यातक/लाइसेंसधारी को डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट प्रभाग को प्रत्येक ऐसे स्थानांतरण के 3 माह के भीतर अंतिम गंतव्य देशों (स्टॉकिस्ट के देश के बाहर के निर्यात के लिए) में प्रविष्टि बिल के साथ सभी अंतिम वास्तविक प्रयोक्ताओं से वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (ईयूसी) परिशिष्ट 2ध (i)/2ध (ii) सहित ऐसे किए गए सभी हस्तांतरणों का ब्यौरा एएनएफ 2ण(क) में प्रस्तुत करना होगा;

vU; n'kk ¼iqo&vuqekfnr l fHkUu½ dk iqu% fu;kr gr vkonu

झ. स्टॉकिस्ट के देश के बाहर स्टॉकिस्ट इकाई से वास्तविक प्रयोक्ताओं को मदों के पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण जिसके लिए प्रारंभिक चरण में कोई सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया गया है, के मामले में भारतीय निर्यातक (भण्डारण और बिक्री प्राधिकार पत्र धारक) स्टॉकिस्ट इकाई से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात् ई–मेल (scomet-dgft@nic.in) के माध्यम से एएनएफ 2ण (क) में डीजीएफटी (मुख्यालय) में स्कोमेट प्रभाग को पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा;

i) परिशिष्ट 2ध (i)/2ध (ii), जैसा लागू हो के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से वास्तविक प्रयोक्ता/वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्र

ii) क्रय आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों) अथवा इनके स्थान पर कोई दस्तावेज

iii) स्थानांतरण होने वाले उत्पाद का तकनीकी विनिर्देशन (केवल तभी जब स्टॉकिस्ट द्वारा उत्पाद में कोई मूल्य वर्धन किया गया है)

ञ. आईएमडब्ल्यूजी वास्तविक प्रयोक्ता/वास्तविक उपयोग सत्यापन के आधार पर ऐसे पुनः निर्यात/पुनः स्थानांतरण अनुमत करने हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र पर विचार करेगा;

iqu% fd, tkus okys vkMZjksa dk ekeyk e

ट. पुनः किए जाने वाले आर्डरों हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं को स्टॉकिस्ट इकाई से स्कोमेट मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण के आवेदनों पर प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79 के अनुसार आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जाएगा;

LVkfdLV dh eky lwph rFkk gLrkarj.k@iqu% fu;kZr ls lacaf/kr okf"kZd fjiksVZ nsuk

ठ. भारतीय निर्यातक (भण्डारण एवं बिक्री प्राधिकार–पत्र धारक) भारत से स्टॉकिस्ट को किए गए निर्यात, अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट द्वारा किए गए हस्तांतरण तथा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक स्टॉकिस्ट इकाई की माल–सूची का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर भण्डारण एवं बिक्री नीति के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है/प्राधिकार–पत्र को रद्द किया जा सकता है;

ड भण्डारण एवं बिक्री प्राधिकार–पत्र के अंतर्गत स्टॉकिस्ट इकाई को निर्यात की गई मदों को प्राधिकार–पत्र की वैधता अवधि के अंदर अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को हस्तांतरित किया जाना चाहिए जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.16 में उल्लेख किया गया है;

ढ. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार–पत्र का पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है;

2.79ख भण्डारण एवं बिक्री के अंतर्गत स्कोमेट मदों के कलपुर्जों हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना

आवेदक के अनुरोध पर स्कोमेट के अंतर्गत शामिल कलपुर्जों के लिए निर्यात की अनुमति पर मुख्य मद/उपस्कर हेतु आवेदन के साथ आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जा सकता है जिस पर वही शर्तें लागू होंगी जो मुख्य मद/घटक पर लागू हैं। तदनुसार, भण्डारण और बिक्री व्यवस्था के अंतर्गत कलपुर्जो के निर्यात की अनुमति मांगने वाला आवेदक मुख्य मद/उपस्कर हेतु आवेदन में इनका न्यायसंगत और उचित आकलन करने के पश्चात् कलपुर्जों की आवश्यकता को इंगित कर सकता है और इसके औचित्य का उल्लेख करेगा।''

3- bl lkoZtfud lwpuk dk iHkko%

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79क और 2.79ख के तहत मौजूदा ''भण्डारण एवं बिक्री'' नीति को स्टॉकिस्ट के देश के भीतर तथा आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित अन्य विनिर्दिष्ट देशों में वास्तविक प्रयोक्ताओं को पोस्ट–रिपोर्टिंग आधार पर स्कोमेट मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण को अनुमत करने के लिए संशोधित किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 15th November, 2018

No. 46 /2015-2020

Subject :—Amendments in Para 2.79A and 2.79B of Handbook of Procedures for issue of export authorization for "Stock and Sale" of SCOMET items

F. No. 01/91/180/171/AM10/PC-3.EC(S)— In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Director General of Foreign Trade, hereby makes amendments to Paragraph 2.79A and 2.79B (Stock and Sale**)** of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, with immediate effect.

2. The paragraphs 2.79A and 2.79B of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 are substituted to read as under:

"2.79 A Issue of export authorization for "Stock and Sale" of SCOMET items

Application for grant of authorization for bulk export of SCOMET items (excluding Category 0, Category 3A4001, Category 6 and transfer of technology under any category) from an Indian exporter to an entity abroad (hereinafter referred to as 'stockist') for subsequent transfer to the ultimate end users shall be considered by IMWG, on the following conditions:

Applicability and scope of policy

a. 'Stockist' refers to the entity abroad to whom the SCOMET items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary. The Stockist entity should be a subsidiary/principal company abroad of the Indian exporter;

b. Export shall be permitted only from the principal company/the wholly owned subsidiary in India (exporter) to their subsidiaries/principal company abroad (stockist) on the basis of an End Use declaration from the stockist, through the specified End User Certificate (EUC) for 'stock & sale' purpose;

Application for export to stockist abroad and transfer to end users in specific countries

c. The exporter shall submit application in prescribed proforma (ANF-2 O) alongwith following documents from the stockist:
   i. Documentary proof regarding corporate relationship between the Indian exporter and stockist;
   ii. End-use/End-user Certificate from stockist entity abroad in Appendix-2S (iii);
   iii. List of countries (in the EUC) to which the items imported from India would be exported by the stockist;
   iv. Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof;
   v. Technical specifications of the product(s);
   vi. Copy of Internal Compliance Program (if applicant exporter/ stockist entity has one)

In-principle approval for export to the stockist, and, for sale by stockist within the country of the stockist, and, for re-export by stockist to end user in other countries

d. The application would be assessed for grant of authorization for export to the stockist, and, for grant of in-principle approval for re-export to specified countries of ultimate end use approved by the IMWG;

e. No authorization would be required for transfer from the stockist to the ultimate end user(s) within the country of the stockist and for re-export to end users in such approved countries ;

f. Re-export to such approved countries would be subject to the export control regulations of the country of the stockist;

g. Country would denote an independent sovereign entity which is a distinct national entity in political geography. Hence, transfers within an economic union or a customs union would not qualify as "same country transfers";

Post-reporting for same country transfer and re-export to pre-approved countries by the stockist

h. In case of sale/transfer by the stockist within the same country and for re-export/re-transfer to the end users in countries, for which, in-principle approval has been granted, the Indian exporter/licensee shall submit details of all such transfers to SCOMET Division of DGFT(Hqrs) in ANF-2 O(a), including EUCs [Appendix-2S (i) /2S(ii), as applicable] from all ultimate end users and Bill of Entry into the ultimate destination countries(for export outside the country of stockist), within 3 months of every such transfer;

Application for re-export to other countries (other than pre-approved)

i. In respect of re-export/re-transfer of items from the stockist entity to the end users outside the country of the stockist, for which, in-principle approval has not been granted at the initial stage, the Indian exporter (stock and sale authorization holder) shall submit application for re-export/re-transfer to SCOMET Division in DGFT (Hqrs), in ANF 2O(a), through email (scomet-dgft@nic.in), after obtaining following documents from the stockist entity:

- i) End-use/End-user Certificate from each link in the supply chain as per Appendix-2S (i) /2S(ii), as applicable;
- ii) Purchase Order(s)/Invoice(s) or a document in lieu thereof ;
- iii) Technical specifications of the product to be transferred (only if there is any value addition in the product by the stockist)

j. IMWG shall consider export authorizations for allowing such re-export/re-transfer based on end use/end user verification;

Repeat Order cases

k. Applications for re-export/re-transfer of SCOMET items from the stockist entity to the end-users for repeat orders shall be considered by IMWG in accordance with paragraph 2.79 of HBP;

Annual reporting on inventory of the stockist and transfers/re-exports

l. The Indian exporter (Stock & Sale Authorization holder) shall submit a statement of exports made from India to the stockist, transfers made by the stockist to the final end-users and inventory with the stockist, as on 31st December of each calendar year, by 31st January of the following year. A failure to do so may entail imposition of penalty and/or cancellation of authorization under the stock and sale policy;

m. The items exported to the stockist entity under the stock and sale authorization should be transferred to the final end-user(s) within the validity period of the authorization as in paragraph 2.16 of HBP;

n. The authorization may be revalidated as per the procedure mentioned in paragraph 2.80 of HBP;

2.79 B Issue of export authorisation for spare parts of SCOMET items under stock and sale
At the request of the applicant, export permission for spare parts covered under SCOMET may be considered by IMWG along with the application for the main item/ equipment which shall be considered on the same conditions, as applicable for the main item/component. Accordingly, the applicant seeking permission for export of spare parts, under stock and sales arrangement, may indicate the requirement of spare parts in the application for main item/equipment after judicious and reasonable assessment thereof, and provide the justification of the same. "

3. Effect of this Public Notice:

The existing "Stock and Sale" policy under Paragraph 2.79A and 2.79B of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 has been amended to allow re-transfer / re-export of SCOMET items within the country of the stockist and to the end users in other specified countries approved by IMWG, on post reporting basis.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.11.20 19:20:36 +05'30'